

Online RTI Request Form Details

Public Authority Details :-		Print
* Public Authority	Chief Minister office	
Personal Details of RTI Applicant:-		
Registration Number	DOCMO/R/2026/60203	
Date of Filing	06/03/2026	
* Name	Yogi M P Singh	
Gender	Male	
* Address	Mohalla- Surekapuram , Jabalpur Road	
Pincode	231001	
State	Uttar Pradesh	
Educational Status	Literate	
	Above Graduate	
Phone	Details not provided	
Mobile	+91-737910XXXX View	
Email	yogimpsingh[at]gmail[dot]com	
Citizenship	Indian	
* Is the Applicant Below Poverty Line ?	No	
RTI Application Details u/s 6(1) :-		
((Description of Information sought (upto 500 characters))		
* Description of Information Sought	<p>To: The Public Information Officer PIO, Chief Minister Secretariat, Room No 321, UP Secretariat Lucknow, Uttar Pradesh Subject: Request for Information under Section 6 1 of the RTI Act 2005 regarding the processing of Grievance Nos GOVUP E 2026 0027724 and GOVUP E 2026 002772</p> <p>1. Details of the Information Seeker: Name: Yogi M P Singh Address: Mohalla Surekapuram Colony, Jabalpur Road, Sri Laxmi Narayan Baikunth Mahadev Mandir, Mirzapur City, Pin Code: 231001, Uttar Pradesh. 2. Particulars of Information Required: This request concerns the representations filed by Shri Tej Bahadur Singh regarding the illegal encroachment and obstruction of reconstruction on ancestral land in Village Sarajitaray, Mauaima, Prayagraj. Despite the matter being sub judice in the Court of Civil Judge Senior Division, Room No 8, Allahabad Case No 3853 2022, the applicant seeks the following processing details: Item A: Provide the daily progress report and Note Sheet indicating the actions taken by the Chief Ministers Secretariat regarding Grievance Registration Numbers GOVUP E 2026 0027724 and GOVUP E 2026 0027721, both received on 06 03 2026. Item B: Provide copies of all internal correspondence, directions, or orders issued to the Police Commissioner Prayagraj or the SHO Mauaima following the receipt of these grievances. Item C: Provide information on the specific measures taken by the administration to address the complainants allegation that he was declared dead in official records, leading to the cessation of his old age pension. Item D: Since th police report dated 20 02 2026 acknowledges the dispute over Abadi Plot No 220 and the pending court case, provide details on how the Secretariat is ensuring that muscle power is not used to change the status quo. At the same time, the matter remains sub judice. 3. Application Fee: The requisite application fee of Rs 10 is paid online. Declaration: I state that the informatior sought does not fall within the restrictions contained in Sections 8 and 9 of the RTI Act and to th best of my knowledge, it pertains to your office. I am a Citizen of India. Place: Mirzapur, Date: 06 03 2026 Yogi M P Singh</p>	
* Concerned PIO	ANURAG SINHA (C.M. Sec-3)	

06/03/2026, 23:29

RTI Online ::

Designation	SECTION OFFICER
Mobile	945441XXXX View
Email	anurag[dot]13729[at]gov[dot]in
Supporting document ((only pdf upto 1 MB))	

Details for registration number : GOVUP/E/2026/0027724

Name Of Complainant TEJ BAHADUR SINGH

Date of Receipt 06/03/2026

Received By Ministry/Department Uttar Pradesh

Grievance Description

To,
The Station House Officer (SHO), Mauaima
The Police Commissioner, Prayagraj
The Deputy Inspector General of Police (DIG), Prayagraj
The Inspector General of Police (IG), Prayagraj
The Director General of Police (DGP), Uttar Pradesh
The Honourable Chief Minister, Uttar Pradesh

Subject: Regarding the illegal encroachment and obstruction by neighbours during the reconstruction of our residential house.

Respected Sir,

I, the applicant Tej Bahadur Singh, son of Late Vijay Bahadur Singh, along with the families of my deceased brothers—Late Shiv Bahadur Singh (Ex-Army), Late Chandrabali Singh, and Late Suresh Bahadur Singh—am a permanent resident of Village Sarajitaray alias Purebhava, Police Station Mauaima, Post Ghinpur, District Prayagraj.

Our ancestral mud house, which was in a dilapidated condition, recently collapsed due to heavy rains. We now intend to reconstruct our home on that site. However, during this process, our neighbors—Mr. Balendra Singh and Mr. Baleshwar, both sons of Late Jang Bahadur Singh—who are liquor businessmen and individuals of dominant/criminal muscle power, are constantly harassing our family through various conspiracies. They are obstructing the reconstruction and attempting to illegally encroach upon our residential (Abadi) land.

Historical Context of the Property:

Our ancestor, Late Gajraj Singh, had two sons: Late Shamsheer Bahadur Singh and Late Nepal Singh. While Late Nepal Singh and Late Bhagwan Din Singh (son of Shamsheer Bahadur) resided in the village, Late Shamsheer Bahadur Singh operated a business in Bengal along with his other sons, Late Vijay Bahadur Singh and Late Ram Kripal Singh. Before his passing, Late Shamsheer Bahadur Singh bequeathed all Bengal properties to Late Ram Kripal Singh, while the village properties in Sarajitaray were allotted to Late Bhagwan Din Singh and my father, Late Vijay

Bahadur Singh.

In due course, Late Ram Kripal Singh lost the Bengal properties due to poor habits. His son, Late Jang Bahadur Singh, was eventually ousted from Bengal by his brothers following family disputes, after which he returned to the village with his mother. Although he had no legal claim to the village land (as his father's share was in Bengal), my father, Late Vijay Bahadur Singh, out of humanity, provided him a portion of his own share to settle and live.

Current Grievance:

Today, the family of Late Jang Bahadur Singh (his wife Nirmala Singh and sons Balendra and Baleshwar) is attempting to illegally seize the remaining land belonging to the four sons of Late Vijay Bahadur Singh.

Due to the lack of a house, our family is forced to live as nomads, seeking shelter with relatives. Tragically, my brother Suresh Bahadur Singh passed away recently due to extreme heat and lack of proper shelter. Even his last rites and rituals (Terahvi) had to be performed in a tent with the help of villagers. Our social dignity is at stake. Furthermore, the widows of my elder brothers—Mrs. Rama Singh and Mrs. Uma Singh—are elderly and in poor health. Without a house, I am unable to provide them with care or medical stability, leading to severe mental agony.

In a shocking display of their influence, the accused (Balendra and Baleshwar Singh) have even managed to have me, Tej Bahadur Singh, declared dead in official records. As a result, my old-age pension has been stopped. We are currently facing extreme financial and mental distress.

Prayer:

In light of the above facts, I earnestly request your intervention to assist us in reconstructing our ancestral house and to protect us from the illegal encroachments by the aforementioned individuals. We seek to be safely reinstated in our home.

Applicant,

Shri Tej Bahadur Singh

S/o Late Vijay Bahadur Singh

Mobile: +91 9125719695

Current Status	Grievance received
Date of Action	06/03/2026
	Officer Concerns To
Forwarded to	Uttar Pradesh
Officer Name	Shri Arvind Mohan (Joint Secretary)
Organisation name	Uttar Pradesh

06/03/2026, 07:41

Grievance Status

Contact Address

**Chief Minister Secretariat , Room No. 321, U.P.
Secretariat, Lucknow**

Email Address

arvind.12574@gov.in

Contact Number

05222226350

Details for registration number : GOVUP/E/2026/0027721

Name Of Complainant TEJ BAHADUR SINGH

Date of Receipt 06/03/2026

Received By Ministry/Department Uttar Pradesh

Grievance Description

MauAima police station

विषय : पुनः गृह निर्माण में पड़ोसी के द्वारा जमीन कब्जा एवं अवरोध के सन्दर्भ में मैं प्रार्थी श्री तेज बहादुर सिंह पुत्र श्री विजय बहादुर सिंह, स्वर्गीय शिव बहादुर सिंह (एक्स आर्मी) पुत्र श्री विजय बहादुर सिंह, स्वर्गीय चन्द्रबली सिंह पुत्र श्री विजय बहादुर सिंह, स्वर्गीय सुरेश बहादुर सिंह पुत्र श्री विजय बहादुर सिंह मूलतः सरायजीतराय उर्फ पूरेभावा, थाना मऊआइमा, पोस्ट घीनपुर, जिला प्रयागराज के स्थाई निवासी है हमारा पुराना कच्चा मकान जो कि बहुत ही जर्जर स्थिति में था बारिश के कारण ध्वस्त हो चुका है अब हम वहाँ पर पुनः निर्माण कराना चाह रहे इस गृहनिर्माण प्रक्रिया में हमारे पड़ोसी श्री बालेन्द्र सिंह पुत्र जंग बहादुर सिंह एवं श्री बालेश्वर पुत्र जंग बहादुर सिंह जो की शराब व्यवसायी है, दबंग प्रवृत्ति के आदमी हैं ये लोग हर तरीके की साज़िश कर हम परिवारजन को परेशान करते रहते हैं और हमें पुनः गृह निर्माण नहीं करने दे रहे हैं और हमारी आबादी की ज़मीन को कब्जा करना चाहता है।

इस सन्दर्भ में हम आपको अवगत करना चाहते है की हमारे पूर्वजों स्वर्गीय गजराज सिंह जिनके दो पुत्र स्वर्गीय समशेर बहादुर सिंह एवं स्वर्गीय नैपाल सिंह।

स्वर्गीय समशेर बहादुर सिंह के तीन पुत्र स्वर्गीय भगवान दीन सिंह, स्वर्गीय विजय बहादुर सिंह एवं स्वर्गीय राम कृपाल सिंह।

स्वर्गीय नैपाल सिंह एवं स्वर्गीय भगवान दीन सिंह, सरायजीतराय उर्फ पूरेभावा में आबाद थे और स्वर्गीय समशेर बहादुर सिंह बंगाल में अपना व्यवसाय करते थे और उनके साथ स्वर्गीय विजय बहादुर सिंह एवं स्वर्गीय राम कृपाल सिंह भी साथ रहते थे।

अपने अंतिम दिनों में उन्होंने बंगाल की सारी जमीन जायदाद स्वर्गीय राम कृपाल सिंह को दे दिया और स्वर्गीय भगवान दीन सिंह एवं स्वर्गीय विजय बहादुर सिंह को सरायजीतराय उर्फ पूरेभावा की जमीन जायदाद दे दिया।

समय बीतता गया स्वर्गीय राम कृपाल सिंह की आदत सही नहीं थी और उन्होंने ने बंगाल की जमीन जायदाद भी धीरे- धीरे गवां दी। स्वर्गीय राम कृपाल सिंह के तीन पुत्र थे, स्वर्गीय जंग बहादुर सिंह, स्वर्गीय गंगा सिंह और स्वर्गीय सूबेदार सिंह ये सब बंगाल में ही रहते थे पारिवारिक कलह के चलते स्वर्गीय जंग बहादुर सिंह को उनके भाइयो ने ही बंगाल से भगा दिया और उन्होंने ने अपनी माँ के साथ सरायजीतराय उर्फ पूरेभावा आ गए। वैसे इनका कोई भी हिस्सा यहाँ नहीं बनता था क्युकि की इनके पिता को बंगाल का हिस्सा मिला हुआ था। फिर भी मानवता के नाते स्वर्गीय विजय बहादुर सिंह ने अपने हिस्से से इनको रहने की जगह दी और बसाया भी।

आज की तारीख में स्वर्गीय जंग बहादुर सिंह का परिवार स्वर्गीय विजय बहादुर सिंह के हिस्से की एक जमीन में आबाद है जो की स्वर्गीय विजय बहादुर सिंह ने स्वेच्छा से दी थी।

स्वर्गीय गंगा सिंह के कोई संतान नहीं थी। और स्वर्गीय सूबेदार सिंह बंगाल में ही अपने परिवार के साथ बस गए।

स्वर्गीय जंग बहादुर सिंह की पत्नी निर्मला सिंह एवं दो पुत्र बालेन्द्र सिंह एवं बालेश्वर सिंह आज की परिस्थिति में स्वर्गीय विजय बहादुर सिंह के चार पुत्रो स्वर्गीय चन्द्रबली सिंह, स्वर्गीय शिव बहादुर सिंह, स्वर्गीय सुरेश बहादुर सिंह एवं तेज बहादुर की आबादी की जमीन को नाजायज तरीके से कब्ज़ा करना चाहते हैं। और अलग अलग तरीके से हम सब को परेशान करते हैं।

महोदय हम परिवारजन आपको अवगत कराना चाहते हैं कि आज की परिस्थिति में हमारे परिवार के पास कोई भी आवास स्थान नहीं आवास स्थान के अभाव में हमें इधर उधर भटकना पड़ता है कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ या अन्य किसी और के यहाँ रुकना पड़ता है। इसी प्रकरण में हमारा भाई सुरेश बहादुर सिंह उचित आवास की आभाव में गर्मी लू के कारण मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं.अपने भाई स्वर्गीय सुरेश बहादुर सिंह जी का मृत्यु के पश्चात जो भी कार्यक्रम हुआ है शुद्ध - तेरही, ये सारी व्यवस्था मुझे टेंट लगाकर गाँव वालों के सहयोग से करनी पड़ी आप समझ सकते हैं कि किन परिस्थितियों में एवं कितनी समस्याएं के साथ हम लोगों के सामने मान मर्यादा सब कुछ हमारा दांव पे लगा हुआ है।

हमारी दोनों बड़े भाई की पत्नियां श्रीमती रमा सिंह पत्नी स्वर्गीय चन्द्रबली सिंह, श्रीमती उमा सिंह पत्नी एक्स आर्मी शिव बहादुर सिंह काफ़ी बुजुर्ग महिला हैं दोनों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं लगता है मैं आवास के अभाव में समुचित व्यवस्था नहीं कर पा रहा हूँ और हम सभी मानसिक रूप से बहुत परेशान रहते हैं।

इस पूरे प्रकरण को ध्यान में रखते हुए हम आपसे सभी ने प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारे पैतृक निवास पर पुनः गृह निर्माण की प्रक्रिया में सहायता की जाए और हमें वहाँ पर अब पुनः स्थापित किया जाए आपकी बहुत कृपा होगी।

Current Status	Grievance received
Date of Action	06/03/2026
	Officer Concerns To
Forwarded to	Uttar Pradesh
Officer Name	Shri Arvind Mohan (Joint Secretary)
Organisation name	Uttar Pradesh
Contact Address	Chief Minister Secretariat , Room No. 321, U.P. Secretariat, Lucknow
Email Address	arvind.12574@gov.in
Contact Number	05222226350

पुलिस

कार्यालय

कमिश्नरेट

अपीलीय प्रकरण/समयबद्ध।

प्रयागराज।

पत्र संख्या:वाचक/अ0पु0आ0मुख्या0-52 (जनसूचना अपील)/2026

दिनांक: मार्च ,2026

श्री योगी एम.पी, सिंह

पता- मोहल्ला सुरेकापुरम जबलपुर रोड 30प्र0।

कृपया आपके द्वारा प्रेषित आनलाइन जनसूचना आवेदन संख्या SSPPY/R/2026/60014 दिनांकित 04.01.2026 में जनसूचना अधिकारी सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर कमिश्नरेट प्रयागराज द्वारा जनसूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने पर प्रथम अपील संख्या SSPPY/A/2026/60034 दिनांक 02.02.2026 के माध्यम से आपके द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

उपर्युक्त वांछित सूचना सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर से संबंधित होने के कारण अपेक्षित सूचना सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर कमिश्नरेट प्रयागराज द्वारा अपने पत्र दिनांक 01.03.2026 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी सूचना संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक-यथोपरि

02/03/26
प्रथम अपीलीय अधिकारी
कमिश्नरेट प्रयागराज

कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर कमिश्नरेट प्रयागराज

पत्रांक:एसटी/एसीपीपी/जाँच/आनलाईन आरटीआई/2026(23)

दिनांक:मार्च - , 2026

श्रीमान अपर पुलिस
आयुक्त मुख्यालय,
कमिश्नरेट प्रयागराज ।

कृपया आप अपने पत्र संख्या: वाचक/अ0पु0आ0-52(जनसूचना अपील)/2026/36 दिनांक 03.02.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो आवेदक श्री योगी एम पी सिंह निवासी मोहल्ला सुरेकापुरम जबलपुर रोड 30प्र0 द्वारा आवेदन की गयी आनलाईन अपीलीय जनसूचना रजि0 नं0 - SSPPY/2026/60034 दिनांकित: 02.02.2026 में जनसूचना अधिकार अधिनियम - 2005 के तहत आवेदक श्री तेज बहादुर सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह की जमीनी विवाद के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना प्रेषित किये जाने विषयक है।

अतः आप द्वारा अपेक्षित की गयी सूचना को थाना मऊआइमा कमिश्नरेट प्रयागराज से प्राप्त कर अवलोकनार्थ प्रेषित किया जा रहा है, जिसकी प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न आख्या है।

अपेक्षित आख्या अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक:यथोपरि।


(विवेक शर्मा)
03/2026

सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर
कमिश्नरेट प्रयागराज

श्रीमान ए.सी.पी. महोदय

थाना फूलपुर

कमिश्नरेट प्रयागराज

विषय-आवेदक श्री योगी एमपी सिंह निवासी सुरेखा पुरम जबलपुर पत्र संख्या ज0स0 अ0, SSPPY/R/2026/60034 के संबंध में आख्या

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी श्री योगी एमपी सिंह की जांच आख्या निम्न प्रकार से है,

1. श्रीमान उपजिलाधिकारी फूलपुर प्रयागराज के दिनांक 23/06/2025 का प्रार्थना पत्र थाना कार्यालय के डाक में प्राप्त नहीं है. प्रार्थना पत्र के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि RI/L को जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अवगत कराया गया है। रिपोर्ट संबंधित विभाग द्वारा लगाई गई होगी, किसी पुलिस अधिकारी कर्मचारी से सम्बंधित नहीं है।
2. दिनांक 22/6/2025 की व दिनांक 10 जनवरी 2026 को लेखपाल की रिपोर्ट संलग्न किया जा रहा है। सिविल जज रूम नंबर 8 इलाहाबाद वालेदुर सिंह आदि बनाम तेज बहादुर सिंह आदि वाद संख्या 3853/2022 विचाराधीन है, जिसकी नियत तिथि 28/04/2026 के बाद निर्णय के उपरांत ही कोई कार्यवाही किया जाना संभव है।
3. पत्र संख्या ज0स0 अ0, SSPPY/R/2026/60034 के संबंध में मैं उ0नि0 आलोक सिंह द्वारा जांच की गई तो ज्ञात हुआ कि उपरोक्त आबादी संख्या 220 रकबा 0.6110 हे0 पूर्वजों गजराज सिंह के समय से आबाद चले जा रहे हैं, स्व0 गजराज सिंह के दो पुत्र 1. नेपाल सिंह 2. समशेर सिंह थे, उपरोक्त भूमि में स्व0 समशेर सिंह पुत्र गजराज सिंह के तीन पुत्र 1. स्व0 भगवानदीन सिंह 2. स्व0 विजय बहादुर सिंह 3. स्व0 रामकृपाल सिंह थे, स्व0 समशेर सिंह उपरोक्त आबादी की जमीन में तीनों बेटों में प्रत्येक का 1/3 अंश हो रहा है, 1. स्व0 भगवानदीन सिंह के 02 पुत्र 1. जितेंद्र प्रताप सिंह 2. इंद्रपाल सिंह जमीन पर कब्जा कर मकान बना लिए हैं, 2. स्व0 विजय बहादुर सिंह के 04 पुत्र 1. चंद्रवली सिंह 2. शिव बहादुर सिंह 3. सुरेश बहादुर सिंह 4. तेज बहादुर सिंह, जमीन पर वर्तमान में टीन सेट रख कर कब्जा पाए हैं, 3. स्व0 रामकृपाल सिंह के एक पुत्र जंग बहादुर सिंह मकान बनाकर कब्जा दखल है, वालेदुर सिंह पुत्र जंग बहादुर सिंह का कहना है कि हमें अपने हिस्से की भूमि कम मिली है, जिसके सम्बन्ध में अतिरिक्त सिविल जज रूम नंबर 8 इलाहाबाद वालेदुर सिंह आदि बनाम तेज बहादुर सिंह आदि वाद संख्या 3853/2022 विचाराधीन है, दोनों पक्षों को बताया गया, कि माननीय न्यायालय में जाकर अनुतोष प्राप्त करें। इसलिए थाना स्तर पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है। दोनों पक्षों का पारिवारिक विवाद है, जिसमें किसी भी अधिकारी कर्मचारियों द्वारा मजबूर नहीं किया गया है।
4. बिंदु संख्या 03 के अनुसार
5. बिंदु संख्या 03 के अनुसार

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

उपस्थान जी

जांच आख्या में सहमत

पंकज
28/02/26
कमिश्नरेट प्रयागराज

C.S. Yadav
28-2-26

चंद्रशेखर यादव

(30 नि0)

थाना मऊआइमा
कमिश्नरेट प्रयागराज



सूचना प्राप्त करने का आवेद

(नियम 1290 (ए))

CANCELLED

मूल वाद

अपील

पुनरीक्षण

उ.स.उ.

सं० २०२२/३०

के साथय में जो

विजित जन्म के ०१/०१/०१ इलाहाबाद के न्यायालय में विद्यमान है।

बालेन्द्र बहादुर सिंह आदि बनाम तेज बहादुर सिंह आदि

पार्थी निम्नलिखित प्रश्नों के सम्बन्ध में सूचना चाहता है।

शरद मुखारन

प्रश्न

उत्तर

1. क्या नदीगण बालेन्द्र बहादुर सिंह आदि ने आवादी नं०-२२० रकबा ०.६१० हे०खैर मौजा सराय पीर शाय के गुरे भावा पुरे शिकन्पुरा सह पुलपुर जिले-प्रयागराज के जुज अंगरेजिक दान के साथ सतंभ नजरी नकशा मे लाल रंग के दौरक च. द. प. कु अक्षर से दिखया गया है के वास्तव अखिवादी तेज बहादुर सिंह के निवेदन के निवेदान के सामने प्रमाणों में उपरोक्त दावा दाखिल किया है।

2. क्या माननीय न्यायालय ने अखिवादी ने अपना जवाब दाखिल करके अंके पर जाकर विनाहित रखन का नजरी नकशा बनाकर न्यायालय में अद्यतनगी कमिश्नर की रिपोर्ट दाखिल करने की परवानाही की है जो माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया है तथा उक्तों अग्रिम नियम विधि 13-07-2026 है।

28
08/01/2026

YS

YS

08/01/26



दिनांक 08/01/2026

K. Singh Adv
पक्ष या वकील का हस्ताक्षर

उत्तर देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर व पद

सत्य प्रतिलिपि

.....

- टिपपणी - 1. यह पत्र उत्तर के साथ उसी दिन लौटा दिया जायेगा। यदि अगिलेख नही है तो यह प्रति प्रतिलिपि चाहिये और पार्थी निम्नलिखित दिनांक को फिर से आने को कह देना चाहिये।
- यदि अधिक प्रश्न पूछे जाय तो प्रत्येक अतिरिक्त प्रश्न के लिये तो आने का अतिरिक्त शुल्क लगा होगा।

मंदाप

श्री अलेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र स्व. जगदहाद सिंह निवासी
 ग्राम हरथ जिला रायचूर प्रदेस परगा विधान क्षेत्र के निवासी
 जनपद पुनारवा के प्रमुख पत्र के संचालक में जांच के लिए
 नाम जांच पत्रिका नाम ग्राम ग्राम ग्राम ग्राम ग्राम 220000
 0.66000 - आवासीय क्षेत्र 6(2) खाल में दर्ज है। निम्नलिखित
 जेब बहादुर सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह आदि के मदनचंद्र
 को लेखक के रूप में न्यूनतम प्रमाण सिद्ध करने के लिए
 इलाहाबाद अलेन्द्र बहादुर सिंह आदि का नाम जेब बहादुर सिंह आदि
 का विचार है। निम्नलिखित तिथि 13-2-26 को सिद्ध
 निम्न के उपरान्त ही यह कार्य करा है किम जाना जाय

श्री
 जगदहाद सिंह पुत्र अलेन्द्र बहादुर सिंह


 13/2/26
 42711/64
 जेब बहादुर